रजिस्टर्ड नं० HP/1 :/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 22 दिसम्बर, 2004/1 पौष, 1926

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 22 दिसम्बर, 2004

संख्या वि०स०-विधायन-गवर्नमैंट बिल/1-57/2004. हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004

(2004 का विधेयक संख्यांक 22) जो आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ रा .पत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे0 आर0 गाज़टा,
सचिव ।

2004 का विधेयक संख्यांक 22

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2004 है ।

(2) यह 26 अक्तूबर, 2004 को प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 264 का संशोधन ।

1994 का 12

2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 264 में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (घ) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) कूड़े-कचरे का, आयुक्त द्वारा विहित रीति में नगर निगम द्वारा आगामी निपटान हेतु, ऐसे निपटान के लिए फीस के संदाय पर, जो सरकार द्वारा विहित की जाए, संग्रहण और निक्षेप करें ।"।

धारा 269 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 269 में, उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, गृह स्वामी या किसी परिसर के अधिभोगी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह, यथास्थिति, अपने शौचालयों, मूत्रालयों और मलाशय (सेपटिक टैंक) को, निगम से सिवरेज कनेकशन प्राप्त करके, अपने खर्च पर निगम की सिवरेज लाईन से जोड़ेगा और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो वह, ऐसे कनेकशन के लिए अन्य प्रभारों के अतिरिक्त, जुर्माने से दण्डनीय होगा जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा परन्तु पांच सौ रुपए से कम नहीं होगा :

परन्तु यह कि जहां सिवरेज लाईन किसी अन्य व्यक्ति की भूमि में से जा रही है तो वहां पर ऐसी भूमि की सीमा रेखाओं में से सिवरेज कनेकशन को सिवरेज लाईन से जोड़ा जाएगा या जहां भवन का निर्माण हो गया है वहां पर लाईन ऐसे भवन के सैटबैक्स में से ले जाई जाएगी, जो भी साध्य हो ।"।

धारा 302 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 302 की उप-धारा (1) में निम्नलिखित नए खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"(ञ) किसी भी सार्वजनिक स्थान में बन्दरों, लंगूरों और अन्य आवारा जानवरों को नहीं खिलाएगा; या

(ट) सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक सड़क, सार्वजनिक गली या दीवारों पर नहीं थूकेगा; या

(ठ) किसी प्रकार के कूड़े-कचरे/कूड़े-करकट आदि को इस प्रयोजन के लिए निगम द्वारा उपलब्ध करवाए गए कन्टेनर के सिवाय किसी सार्वजनिक स्थान, सड़क, गली या खुले पहाड़ी पार्श्व में नहीं फैंकेगा ।

स्पष्टीकरण.—खण्ड (ञ) के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "सार्वजनिक स्थान" के अन्तर्गत मन्दिर नहीं होगा ।"।

2004 के अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियां ।

5. (1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2004 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

नगर निगम शिमला के लिए कूड़े-कचरे का संग्रहण और निपटारा करना एक गम्भीर विषय रहा है। रिट याचिका संख्या 543/2003 नामत: श्रीमती त्रिशा शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार व अन्य, माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है, जिसमें एक विवाधक स्वच्छता से सम्बन्धित है। इसलिए शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए नगर निगम शिमला ने कुछ क्षेत्रों में घर-घर से कूड़े-कचरे के संग्रहण की स्कीम शुरू की थी। तथापि लोगों के असहयोग के परिणामस्वरूप स्कीम असफल रही। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि सभी लोगों का स्कीम में अभिदाय करना अनिवार्य कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त नगर निगम शिमला ने शहर में सिवरेज प्रणाली में सुधार करने के लिए अस्सी करोड़ रुपए की रकम खर्च की है परन्तु लोग अभी तक सिवरेज कनैकशन नहीं ले रहे हैं। मलाशय (सेपटिक टैंक) में अपशिष्ट पानी का उचित निपटान का प्रबन्ध नहीं है जिसके परिणामस्वरूप न केवल अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों का प्राबल्य है अपितु भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है। इसके अतिरिक्त शिमला शहर में बन्दर घुड़की (बन्दर भय) की समस्या भी निगम के लिए गम्भीर विषय रहा है। इसमें भी रिट याचिका संख्या 653/2003 नामत: कंवर रतनजीत सिंह बनाम भारत संघ व अन्य भी माननीय न्यायालय में लम्बित हैं, जिसमें विवाधक बिन्दु बन्दर घुड़की (बन्दर भय) पर नियन्त्रण रखना है। बन्दर, लंगूर और अन्य आवारा जानवर परिक्षेत्र की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, क्योंकि लोग बन्दरों और अन्य जानवरों को सार्वजनिक स्थानों पर खिलाते हैं, जिसके कारण न्यूसेंस उत्पन्न होती है। सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, गलियों और खुले स्थानों में कूड़े-कचरे/कूड़े करकट आदि को फैंकने और थूकने के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है जिसके परिणामस्वरूप शहर में अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। इन समस्याओं को पराभूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 में तुरन्त संशोधन करना आवश्यक था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का अध्यादेश संख्यांक 3) तारीख 25 अक्तूबर, 2004 को प्रख्यापित किया गया और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 26 अक्तूबर, 2004 को प्रकाशित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

कौल सिंह ठाकुर,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख ....., 2004.

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

कौल सिंह ठाकुर,
प्रभारी मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

शिमला :

तारीख ....., 2004.

AUTHORITATIVF ENGLISH TEXT

Bill No. 22 of 2004.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2004

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 *of* 1994):

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fifth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2004.

(2) It shall and shall always be deemed to have come into force on 26th day of October, 2004.

Amendment of section 264.

12 of 1994

2. In section 264 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (*c*), the following new clause (*d*) shall be added, namely :—

"(*d*) to collect and deposit the garbage for further disposal by the Municipal Corporation in the manner prescribed by the Commissioner, on payment of fee for such disposal as may be fixed by the Government.".

Amendment of section 269.

3. In section 269 of the principal Act, after sub-section (2), the following new sub-section shall by added, namely :—

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), it shall be the duty of the houseowner or occupant of any premises to connect his latrines, urinals and septic tank, as the case may be, with sewerage line of the Corporation at his own expenses by getting sewerage connection from the Corporation, and if he fails to do so, he shall be punishable with a fine which may extend to two thousand rupees but shall not be less than five hundred rupees, in addition to other charges for such connection :

Provided that where sewerage line is passing through other person's land, the sewerage connection shall be connected to the sewerage line through the boundary lines of such land or where the building has been constructed. the line shall be laid through the setbacks of such building, whichever is feasible.".

Amendment of section 302.

4. In section 302 of the principal Act, in sub-section (1), the following new clauses shall be added, namely :—

"(*j*) feed monkeys, langoors and other stray animals in any public place ; or

(*k*) spit on public place, public road, public street or walls; or

(*l*) throw any type of garbage/refuse etc. on any public place, road, street or in open hillside except in a container provided by the Corporation for this purpose.

Explanation.—For the purpose of clause (*j*), the expression "public place" shall not include temple.".

Repeal of Ordinance No. 3 of 2004.

5. (1) The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2004 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Collection and disposal of garbage has been the matter of great concern to the Municipal Corporation, Shimla for a long time. A Writ Petition No. 543/2003 titled as Mrs. Trisha Sharma *V/s* State of H. P. & others is also pending before the Hon'ble High Court in which one of the issues is regarding cleanliness. In order to keep the town clean, the Municipal Corporation, Shimla had introduced a door to door collection of garbage scheme in certain areas. However, the non-cooperative attitude of the people resulted the failure of the scheme. It is, therefore, considered necessary to make it mandatory for all persons to subscribe to the scheme. Further Municipal Corporation, Shimla has spent an amount of Rs. 80 crores to improve the sewerage system within the town, but the people are still not obtaining sewerage connections. The septic tanks do not have proper disposal of waste water, as a result not only unhygienic conditions prevail but also ground water is getting polluted. Further the problem of monkey menace in Shimla town has also been the matter of great concern to the Corporation. There is also a Writ Petition No. 653/2003 titled as Kanwar Rattanjit Singh *V/s* Union of India and others pending in the Hon'ble High Court in which the point in issue is to check the monkey menace. The monkeys, langoors and other stray animals are attracted to localities, due to the reasons that people feed the monkeys and other animals in public places and this creates nuisance. Cases of throwing garbage/refuse and spitting in public places, roads, streets and in open places are also increasing, resultantly it creates unhygienic conditions in the town. In order to overcome these problems it was decided to make suitable amendments in the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 had to be amended urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, promulgated the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2004 (Ordinance No. 3 of 2004) on the 25th day of October, 2004 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on the 26th day of October, 2004. Now the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without any modification.

KAUL SINGH THAKUR,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :
The....., 2004.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2004

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 of 1994).

KAUL SINGH THAKUR,
Minister-in-Charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (Law).

SHIMLA :

The....., 2004.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित